भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *259

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा

*259 श्री अखिलेश प्रसाद सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के आधार पर बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-संभावित खंडों की पहचान की है;

(ख) क्या सड़क अभियांत्रिकी संबंधी कमियों तथा अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना के कारण राज्य में लगातार घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ग) राजमार्ग डिजाइन, आपातकालीन आघात प्रतिक्रिया तथा बुद्धिमत्तापूर्ण यातायात प्रबंधन प्रणालियों में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट समाप्त करने हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा' के संबंध में **'श्री अखिलेश प्रसाद सिंह'** द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्यसभा तारांकित प्रश्न संख्या *259 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) सरकार ने 2023-2025 की अवधि के लिए हाल के इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) के आधार पर बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 174 दुर्घटना-बाहुल्य खंडों (ब्लैक स्पॉट कॉरिडोर्स) की पहचान की है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) की पद्धति संहिता और सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित विशिष्टताओं के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, उद्घाटन-पूर्व और प्रचालन चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किए जाते हैं और चिन्हित की गई सुरक्षा समस्याओं का समाधान किया जाता है।

(ग) सरकार ने बिहार में निम्नलिखित उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति कार्यान्वित की है:

i. राजमार्ग डिजाइन में सुधार:

- अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए): सभी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), निर्माण और प्रचालन सहित सभी चरणों में तृतीय-पक्ष आरएसए अनिवार्य हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा सुविधाओं को डिजाइन में शामिल किया गया है।
- इंजीनियरिंग अंतःक्षेप (इंटरवेंशन): इनमें चिन्हित ब्लैक स्पॉट का सुधार, सड़क की ज्यामिति में सुधार और क्रैश बैरियर, साइनेज और रोड मार्किंग लगाना शामिल है।
- निगरानी: ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) का उपयोग राजमार्गों पर अनधिकृत अतिक्रमणों को चिन्हित करने और उन्हें हटाने के लिए निर्धारित सर्वेक्षणों के लिए किया जाता है।

ii. आपातकालीन आघात (ट्रॉमा) कार्रवाई:

- घटना प्रबंधन: बिहार में विशिष्ट स्थानों पर बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस, रूट पेट्रोल वाहन और रिकवरी क्रेन तैनात किए गए हैं, जिन्हें 1033 टोल-फ्री हेल्पलाइन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

- राज्य समन्वय: राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आपातकालीन चिकित्सा के लिए सरकारी एम्बुलेंस की सूची तैयार की है, और राज्य सरकार के पुलिस और परिवहन विभागों ने दुर्घटना स्थलों को साफ करने के लिए अतिरिक्त क्रेन और टोइंग वाहन तैनात किए हैं।

- वित्तीय एवं चिकित्सा सहायता: प्रधानमंत्री की सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना 'पीएम-राहत' (2025) के तहत दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित उपचार उपलब्ध कराया जाता है। 'राह-वीर' (नेक लोगों) के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है और हिट-एंड-रन पीड़ितों के लिए मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

iii. कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस):

- एटीएम: बिहार में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएम) लागू की जा रही है। इन प्रणालियों में वीडियो निगरानी, घटना का पता लगाना और वाहन-संचालित गति प्रदर्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

- प्रवर्तन: उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारों पर प्रौद्योगिकी-आधारित यातायात प्रबंधन और ई-चालान जारी करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के नियम जारी किए गए हैं।

(घ) ब्लैक स्पॉट कॉरिडोर का सुधार एक सतत प्रक्रिया है। तत्काल सुरक्षा सुधार के लिए सड़क चिह्नांकन, साइनबोर्ड, क्रैश बैरियर, रोड स्टड, सीमांकन, अनधिकृत मीडियन ओपनिंग को बंद करना, यातायात नियंत्रण उपाय और राजमार्ग पर प्रकाश व्यवस्था जैसे उपाय किए जाते हैं। इसके बाद ज्यामितीय सुधार, जंक्शन सुधार, कैरिजवे चौड़ीकरण, क्षमता वृद्धि और अंडरपास/ओवरपास के निर्माण के लिए विस्तृत अध्ययन/फीडबैक आधारित उपाय किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन प्राधिकरणों से मंजूरी और उपयोगिता स्थानांतरण की आवश्यकता के कारण इनमें से कुछ उपायों में समय लगता है।
